संख्या–2971/14–2–2017–800(59)/2017

प्रेषक,

आशीष तिवारी,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय),
भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन, पंचम तल,
सेक्टर एच अलीगंज विस्तार,
उ0प्र0 लखनऊ।

वन एवं वन्यजीव अनुभाग–2 **लखनऊ, दिनांक 20 दिसम्बर, 2017**

विषय :– बदायूँ में मेरठ–बदायूँ मार्ग एच0एच0–18 के किमी0 163.000 से 208.400 तक किमी0 चैनेज 162.000 से 207.400 तक 02 से 04 लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 64.6 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 10647 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय संख्या–08बी/यू.पी./06/53/2017/एफसी/78 दिनांक 16.08.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विषयगत प्रकरण में की गई कतिपय आपत्तियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई है। तत्क्रम में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र सं0–1561/बदॉयू/23705/2017 दिनांक 11.12.2017 द्वारा कमियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव 02 प्रतियों में शासन को उपलब्ध करायी गई है, जो इस प्रकार है :–

क्रमांक	आपत्ति	निराकरण
1.	सन्दर्भित पत्र के बिन्दु–2 के क्रम में संशोधित पावर आफ अटार्नी को ऑनलाइन पार्ट–1 के Additional Information Detail पर अपलोड नहीं किया गया है। अपलोड कराने का कष्ट करें।	सन्दर्भित पत्र के बिन्दु के क्रम में संशोधित पावर आफ अटार्नी को ऑनलाइन पार्ट–1 के Additional Information Detail पर अपलोड कर दिया गया है।
2.	सन्दर्भित पत्र के बिन्दु–9 के क्रम में वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट को ऑनलाइन पार्ट–2 पर अपलोड नहीं किया गया है।	सन्दर्भित पत्र के बिन्दु–9 के क्रम में वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट को ऑनलाइन पार्ट–2 पर अपलोड कर दिया गया है।
3.	सन्दर्भित पत्र के बिन्दु–10 के क्रम में उ0प्र0 शासन द्वारा पार्ट–5 पर की गयी संस्तुति को ऑनलाइन पार्ट–2 पर अपलोड नहीं किया गया है। अपलोड करने का कष्ट करें।	सन्दर्भित पत्र के बिन्दु–10 के क्रम में उ0प्र0 शासन द्वारा पार्ट–5 पर की गयी संस्तुति को ऑनलाइन पार्ट–2 पर अपलोड कर दिया गया है।
4.	सन्दर्भित पत्र के बिन्दु–12 के क्रम में परियोजना के 10 किमी0 की परिधि में कोई सेन्चुरी/वन्यजीव	सन्दर्भित पत्र के बिन्दु–12 के क्रम में परियोजना के 10 किमी0 की परिधि में कोई

	विहार न होने सम्बन्धी अभिलेख जो कि प्रस्ताव के पृष्ठ–39 पर संलग्न है, मलवा निस्तारण योजना जो कि प्रस्ताव के पृष्ठ–81 पर संलग्न है, प्रभागीय निदेशक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट जो कि प्रस्ताव के पृष्ठ–40 पर संलग्न है, को ऑनलाइन पार्ट–2 पर अपलोड नहीं किया गया है, अपलोड करें। उक्त के अतिरिक्त शुद्ध वर्तमान मूल्य की धनराशि जमा करने हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी की वचनबद्धता में भविष्य में दरों में बढ़ोत्तरी होने पर उक्त बढ़ी हुई धनराशि जमा किये जाने का उल्लेख नहीं है, उक्त अंश का समावेश करते हुये संशोधित वचनबद्धता प्रमाण–पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न करें व ऑनलाइन अपलोड कराने का कष्ट करें।	सेन्चुरी / वन्यजीव विहार न होने सम्बन्धी अभिलेख जो कि प्रस्ताव के पृष्ठ–39 पर संलग्न है, मलवा निस्तारण योजना जो कि प्रस्ताव के पृष्ठ–81 पर संलग्न है, प्रभागीय निदेशक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट जो कि प्रस्ताव के पृष्ठ–40 पर संलग्न है, को ऑनलाइन पार्ट–2 पर अपलोड कर दिया गया है। उक्त के अतिरिक्त शुद्ध वर्तमान मूल्य की धनराशि जमा करने हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी की वचनबद्धता में भविष्य में दरों में बढ़ोत्तरी होने पर उक्त बढ़ी हुई धनराशि जमा किये जाने का उल्लेख कर दिया गया है, उक्त अंश का समावेश करते हुये संशोधित वचनबद्धता प्रमाण–पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न कर दिया गया है एवं ऑनलाइन अपलोड कर दिया गया है।

2– अतएव मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र दिनांक 12.12.2017 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव की एक प्रति संलग्नकर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया विषयगत प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव।

संख्या–2971(1) / 14–2–2017–तददिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ।
2. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार सिंह)
अनु सचिव।

Data D. SO.Nodal.GOI Letter